

9

राजस्थान सरकार
शिक्षा(गुप-4) विभाग

क्रमांक प-11 (अ) शिक्षा-1/4/2008/गर्ट

दिनांक 23 दिस, 2018

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2017-18 के लिए शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार उचित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुसंधान पर राज्य के वीर-अनुदानित शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2017-18 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है-

क्र.सं.	विवरण	(राशि रुपये में)			
		बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम. पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड. बी.एस.सी.-बी. एड.
1.	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2.	विधि शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3.	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4.	अन्य प्रतिविधियां*	3600.00	-	-	-
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

* क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर लागू नहीं होंगे।

उपरोक्त सारिका के क्र. संख्या 2 में वर्णित विधि-शुल्क का भदवार विवरण निम्नानुसार होगा-

क्र.सं.	विवरण	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एस.सी.-बी.एड./ एम.एड.
(A) कार्यालय व्यय					
1.	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2.	कोशान भूमी *	180	180	180	180
3.	प्रमाण-पत्र	24	24	24	24
4.	विकास शुल्क	840	840	840	840
5.	निज(सी)-पानी	840	840	840	840
6.	परीक्षा	300	300	300	300
7.	विधि	60	60	60	60
	योग (A)	2280	2280	2280	2280

(B) धन कोष				
1. खजाना	180	180	180	180
2. पुस्तकालय	540	540	540	540
3. भाषा, संगीत एवं संस्कृति	180	180	180	180
4. मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180	180	180	180
5. शैक्षिक तकनीकी	360	360	360	360
6. कार्यालय/अभ्यास	360	360	360	360
7. विज्ञान सुलभ	180	180	180	180
8. आकारिक व्यय	180	180	180	180
योग (B)	2160	2160	2160	2160
महायोग (A+B)	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00

(* कार्यालय व्यय को क्रम 1 व 2 पर वर्णित मद का सुलभ किरी भी कार्यक्रम में निर्दिष्ट प्रदेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा तथा इन्स्टीट्यूट कार्यक्रमों को एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त होनी की स्थिति में ही लागू किया जाएगा।)

उपरोक्त सुलभ धार्मिक रूप से देय होगा। वर्ष 2016-17 में प्रदेश से चुना विद्यार्थी, जिन्होंने दिनांक 08.07.2016 को आदेश के अन्तर्गत सुलभ जमा करवाया है, उन्हें 2017-18/आगामी वर्षों के लिए दिनांक 08.07.2016 के आदेश के अनुसार ही वार्षिक सुलभ, प्रदेश सुलभ व कोशम मनी मद की राशि को छोड़कर, संबंधित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त सुलभ को अतिरिक्त वार्षिक विद्यार्थी सुलभ दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

सुलभ की राशि जमा करने हेतु प्रदेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्था राज्य सरकार व केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदन/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से कौशल विकास उपलब्ध करवाए।

sd/-
(डी० नरेश लाल गुप्ता)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिरूप सूचनाएं/आवश्यक कार्रवाई हेतु -

1. विशिष्ट सचिव, मानवीय उन्नयन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. कुलसचिव, जयपुरशरण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
11. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।